वादी द्वारा प्रस्तुत वाद में मुख्य रूप से बटवारे का अनुतोष चाहा गया है। जमाबन्दी सम्वंत 2075 से 2078 ग्राम गोडावास पटवार हल्का गोडावास अनुसार वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 969 रकबा 1.27 हैक्ट0 पक्षकारान की संयुक्त खातेदारी की भूमि है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधानों के अनुसार रेकार्डेड खातेदार या उनके वैधानिक वारिसान राजस्व रेकार्ड में अंकित अपने हिस्सों के अनुसार न्यायालय द्वारा "बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स" बंटवारा करवाने के हक व अधिकारी है। अतः दावा वादी स्वीकार किया जाकर प्राथमिक रूप से डिक्री किया जाता है तथा वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 969 रकबा 1.27 हैक्ट0 अवस्थित ग्राम गोडावास पटवार हल्का गोडावास तहसील नीमकाथाना की जमाबन्दी में अंकित हिस्से के अनुसार पक्षकारान / खातेदारान के मध्य बंटवारा किये जाने हेतु तहसीलदार नीमकाथाना को मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर निर्देशित किया जाता है एवं प्राथमिक डिक्री निम्न शर्तों के अनुसार जारी की जाती है:-

(1)यदि पक्षकारान ने आपस में बाहमी बंटवारा कर अपने-अपने हिस्सो पर काबिज काश्त चले आ रहे हैं तो मौका एवं रिकार्ड के अनुसार प्रस्ताव भिजवावें ।

(2)पक्षकारान की आपसी सहमति से बंटवारा के प्रस्ताव तैयार कर भिजवावें।

(3)यदि उपरोक्त बिन्दु सं. 1 व 2 के अनुसार पक्षकारान के बीच बंटवारा किया जाना सम्भव नहीं है, तो उपरोक्त वर्णित आराजियात का रेकार्ड एवं मौके के अनुसार पक्षकारान के बीच अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी भूमि का बंटवारा विधिवत "बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स" कर प्रस्ताव तैयार कर नक्शा ट्रेस में प्रस्तावित बटा नम्बर डालकर प्रस्ताव भिजवावें। विभाजन प्रस्ताव में खातेदारो को अपनी भूमियों में पहुँच हेतु रास्तो को भी ध्यान में रखते हुये विभाजन प्रस्ताव तैयार किया जावें। बटवारा प्रस्ताव तैयार करने से पूर्व सुनवाई हेतु पक्षकारान को नोटिस देकर सूचित करें। विभाजन प्रस्ताव राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम-1955 के नियम-18 से 21 के अनुसार राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के पत्रांक राम / न्याया / स्था / प-51 / 2008 / विविध / 10546 दिनांक 5.10.2020 में प्रदत्त दिशानिर्देशानुसार तैयार किया जाकर प्रस्तावित किया जावें।

उपरोक्तानुसार प्राथमिक डिक्री जारी हो। पत्रावली में तहरीर जारी होकर बइंतजार बंटवारा प्रस्ताव के दिनांक 16.04.2024 को पेश हो।

(रा[illegible] सिंह यादव)
उ[illegible]अधिकारी
नीम[illegible]

16/4/24

पत्रावली पेश [illegible]
P.O. साहब [illegible]
होने से पत्रावली पूर्वआदेशानुसार
दिनांक 18.5.24 को पेश हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2024.12.02 13:32:15 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

कैलाशचन्द बनाम निर्मला देवी वगै0

वाद संख्या 177/2023

पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उभय पक्ष उपस्थित। विभाजन प्रस्ताव पूर्व में प्राप्त हो चुका है। विभाजन प्रस्ताव पर वकुलाय उभय पक्षों को सुना गया । वकील वादीगण का कथन है कि हमारा दावा बटवारे का है प्राथमिक डिक्री दिनांक 19.03.2024 की पालना में तहसीलदार नीमकाथाना द्वारा पक्षकारान/खातेदारान के मध्य विधिवत विभाजन कर विभाजन प्रस्ताव प्रस्तावित किया है। विभाजन प्रस्ताव से हम सन्तुष्ट है। अतः विभाजन प्रस्ताव अनुसार दावा एफ.डी कर दिया जावें। वकील प्रतिवादी ने कथन किया कि विभाजन प्रस्ताव अनुसार दावा एफ0डी0 किया जाता है तो हमे कोई आपत्ति नही है। वकुलाय उभय पक्षों को सुना गया व पत्रावली एवं विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। तहसीलदार नीमकाथाना द्वारा जो विभाजन प्रस्ताव तैयार किया जाकर प्रस्तावित किया गया है वह राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम–1955 के नियम 18 से 21 के अनुसार तैयार किया जाकर प्रस्तावित किया गया है जिससे उभय पक्ष भी सहमत है अतः दावा वादीगण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव के अन्तिम रूप से डिक्री किया जाना उचित समझते है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर दावा वादीगण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार नीमकाथाना के पत्रांक भू.अ./2024/2583 दिनांक 13.05.2024 द्वारा प्रस्तावितानुसार को अन्तिम रूप से डिक्री किया जाता है तथा वादीगण व प्रतिवादीगण को विभाजन प्रस्ताव अनुसार पृथक–पृथक काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव मय नक्शा डिक्री का भाग समझा जावें। तद्वानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु पर्चा डिर्की मुर्तीब हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बरों से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले इजलास में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2024.12.02 13:32:15 IST
Reason: SelfAttested

(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (राज.)

Scanned with OKEN Scanner